न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1239–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–2–2013 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 48/निगरानी /2010–11.

1– प्रहलाद सिंह आत्मज स्व. खुशीलाल (फौत) वारिसान–
(1) कमल सिंह आत्मज स्व. प्रहलाद सिंह
(2) विमल सिंह आत्मज स्व. प्रहलाद सिंह
निवासीगण ग्राम बम्होरी भुआरी
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन
(3) श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री स्व. प्रहलाद सिंह
निवासी ग्राम चंदन पिपलिया
तहसील सिलवानी जिला रायसेन
(4) श्रीमती कमला बाई पुत्री स्व. प्रहलाद सिंह
निवासी ग्राम बैगनिया
तहसील बरेली जिला रायसेन
(5) श्रीमती गिरजा बाई विधवा स्व. प्रहलाद सिंह
निवासी ग्राम बम्होरी भुआरी
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन
2– प्रेमनारायण आत्मज स्व. खुशीलाल
बलवन्त सिंह आत्मज स्व. खुशीलाल (फौत)
3– शान्ताबाई बेवा बलवन्त सिंह (फौत) वारिसान–
(1) जितेन्द्र आत्मज बलवन्त सिंह
(2) सियाबाई पुत्री बलवंत सिंह
निवासीगण ग्राम बम्होरी भुआरी
तहसील उदयपुरा जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन .... अनावेदक

....

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.के अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी, बरेली द्वारा कलेक्टर, रायसेन को दिनांक 26–8–2008 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम बम्होरी तहसील उदयपुरा जिला रायसेन में वर्ष 1972–73 के अधिकार अभिलेख में भूमि सर्वे क्रमांक 37 रकबा 7.66 एकड़ श्री रामजानकी मंदिर तथा व्यवस्थापक के रूप में भगवत सिंह का नाम अंकित था । खसरा पंचसाला 1999–2000 में यह भूमि व्यवस्थापक के रूप में भक्तराज आत्मज भगवत सिंह रघुवंशी एवं कलेक्टर, रायसेन के नाम दर्ज हुई, बाद में वर्ष 2000–01 में प्रकरण क्रमांक 10/अ–6–अ/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 28–8–2000 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बरेली द्वारा प्रकरण क्रमांक 246/बी–121/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2000 के आधार पर नामांतरण प्रविष्टि क्रमांक 15 प्रमाणीकरण दिनांक 28–8–2000 से उक्त भूमि प्रहलाद, बलवंत, प्रेमनारायण आत्मत खुशीलाल जाति किरार के नाम दर्ज होना अंकित किया गया । खसरा पंचसला वर्ष 2006–07 के अनुसार नामांतरण प्रविष्टि क्रमांक 14 आदेश दिनांक 8–10–2006 के अनुसार उक्त भूमि प्रहलाद सिंह, प्रेमनारायण, शांतिबाई, जितेन्द्र एवं सियाबाई संरक्षक मां स्वयं के नाम दर्ज हुई, अतः प्रकरण क्रमांक 10/अ–6–अ/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 28–8–2000 स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया जाये । कलेक्टर, रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/स्व.निग./कले./07–08 दर्ज कर दिनांक 9–6–2011 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 246/बी–121/अ.वि.अ./99–2000 में पारित आदेश दिनांक 9–8–2000 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को आदेशित किया गया कि आदेशानुसार राजस्व

अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज कराया जाकर पालन प्रतिवेदन मय संशोधन अभिलेख के भेजा जाये । कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–2–2013 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म0प्र0 के कमजोर वर्ग से कृषि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) के तहत आदेश दिनांक 9–8–2000 पारित किया गया है । इस अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा वह किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी द्वारा अपील या पुनरीक्षण के तौर पर या किसी मूल वाद या किसी निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा । इस आधार पर उल्लेख किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं किए जाने से वह अंतिम हो गया था, जिसे उपरोक्त आज्ञापाक प्रावधानों के अनुरूप कलेक्टर को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने का अधिकार नहीं है । अतः कलेक्टर का आदेश क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) उपरोक्त अधिनियम के तहत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध केवल कलेक्टर को अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है और कलेक्टर अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा निगरानी में लेकर निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पूर्व में कलेक्टर के निर्देश के पालन में आदेश पारित किया गया है, अतः अपरोक्ष रूप से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश कलेक्टर का आदेश मान्य होगा, जिसे उनके द्वारा ही स्वप्रेरणा से निगरानी में नहीं लिया जा सकता है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच कर पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की ही है, परन्तु कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के मंदिर की भूमि मानने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि मंदिर का ट्रस्ट सार्वजनिक होकर पंजीकृत नहीं है और उसका संचालन सर्वराकार द्वारा ही किया जा रहा है, इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की मान्य करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की पूर्वजों की भूमि है, जिस पर आज भी आवेदकगण का वास्तविक आधिपत्य है । आवेदकगण के पूर्वज द्वारा अपने स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि 6000/– रूपये में रहन रखी गई थी, जिसके पेटे 20,373/– अदा किये जा चुके हैं । अतः प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की एकमात्र आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि है ।

(7) आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर के आदेश की पुष्टि की गई है, अतः उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप कहा गया कि कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले जाकर आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उपय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रीराम जानकी मंदिर बड़ा स्थित ग्राम बम्होरी भुआरी निजी व्यवस्थापक भगवत सिंह आत्मज मोहन सिंह के नाम से दर्ज है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर, रायसेन के नाम से भूमिस्वामी अधिकार में राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही है । मंदिर की प्रतिमा अशक्त भू–स्वामी की श्रेणी में आती है, इस कारण मंदिर की भूमि अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य के नाम अंतरित नहीं की जा सकती है । कलेक्टर द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है, अतः उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है तथा कलेक्टर के

विधिसंगत आदेश की पुष्टि आयुक्त द्वारा उपरोक्त आशय के निष्कर्ष निकाले जाकर की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर